



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट



E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (0)

पत्रांक 7/2ई०

दिनांक 01/01/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी,
देहरादून

विषय:- जनपद बागेश्वर में धरमघर छिपछिया मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या (39043/2018)

सन्दर्भ:- आपके EDS Dated 16-11-2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं०	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	Please show alternate alignment detail in KML file as well as GPS and Toposheet map at section C (iii, iv) in Form A, part I.	Alternate alignment detail in kml file along with GPS co-ordinate and Toposheet map at section (III & IV) in formate part-I, is uploaded & also provided in hard copy.
2	User agency may upload documents related to all benefited village with benefited population in Form A, Part I	The Documents related to all benefitted village along with benefitted population is provided in Form A, Part I (attached Additional information Details)
3	Original copy of the request document (As per the points mentioned above) may be submitted.	Original copy of the above mentioned documents is provided in hard copy and uploaded in form A part-I
4	User agency may upload/provide present status of the villages to be benefited in the uploaded KML file in Form A, Part I	Present status of the villages denefitted is provided as per VLC and also as per the reply of SR NO-2 and which is also shown in kml file uploaded in Form A, Part I

भवदीय,
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

प्रपत्र- 2.35

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दौफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों / परिवारों / जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

क्र०स०	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1	मझेडा	285	71
2	लमझिगडा(छिपछिया)	426	106


✓ अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०, कपकोट

प्रपत्र-25

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 15 किमी० है।


वन क्षेत्र अधिकारी
धरमघर


उप-प्रभाग वन अधिकारी
बागेश्वर


उत्तराखण्ड वन प्रशासन
बागेश्वर

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रजर्व वनभूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी०) के निर्माण में प्रभावित 2.100 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.200 है० भूमि ग्राम दुलम की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)ख० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। ग्राम दुलम की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण व रिजर्व वनभूमि घोषित करने की कार्यवाही वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कर दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड, लो० नि० वि०
कपकोट

अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खंड, लो० नि० वि०
कपकोट (बागेश्वर)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का स्वामित्व प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी०) के निर्माण में प्रभावित 2.100 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.200 है० भूमि ग्राम दुलम की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)ख० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है।


सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट


अधिशाली अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट (बागेश्वर)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी०) के निर्माण में प्रभावित 2.100 है० भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 4.200 है० भूमि ग्राम दुलम की सिविल बेनाप खाता सं० 9(3)ख० बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसमे राज्य सरकार का स्वामित्व है ग्राम दुलम की सिविल बेनाप भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में सहमत हूँ।

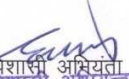

सहायक अधीक्षक
निर्माण विभाग, लो.नि.वि.
कपकोट (बागेश्वर)


अधीक्षक आसी अभियंता
निर्माण विभाग, खंड, लो.नि.वि.
कपकोट (बागेश्वर)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर-दोफाड-धरमघर-कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी० मोटर का निर्माण (लम्बाई 4.00किमी०) के निर्माण में स्थानीय काश्तकारों की जितनी भी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।


सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड, जिला नि.वि.
कपकोट


अधिशाली अभियंता
निर्माण खण्ड, जिला नि.वि.
कपकोट (बागेश्वर)